भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2071**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्याज के निर्यात पर रोक

2071. श्री रवनीत सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है तथा प्याज की कमी के कारण कतिपय समय के लिए भंडारण सीमा लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्याज की कमी की समस्या के समाधान के लिए कोई दीर्घकालिक पहल करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने अधिसूचना सं. 21/2015-2020 के तहत 29.09.2019 से प्याज की सभी किस्मों का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। बाद में, सरकार ने अधिसूचना सं. 27/2015-2020 के तहत 28.10.2019 से 30.11.2019 की अवधि के दौरान 9,000 एमटी की मात्रा तक बंगलुरू रोज प्याज के निर्यात एवं अधिसूचना सं.46/2015-2020 के तहत 06.02.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान 10,000 एमटी की मात्रा तक कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। तथापि, सरकार ने दिनांक 02.03.2020 की अधिसूचना सं. 49/2015-20 के तहत 15 मार्च, 2020 से बिना किसी शर्त के प्याज की सभी किस्मों के 'मुक्त' निर्यात की अनुमति दी है और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात से संबंधित अधिसूचना सं.46/2015-20 दिनांक 15.03.2020 से वापस ले लिया है। साथ ही, सरकार ने दिनांक 29.09.2019 की अधिसूचना का.आ.3540(अ) के तहत शुरूआत में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के थोक विक्रेताओं के लिए 50 एमटी तक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए 10 एमटी तक प्याज को भंडारित करने के लिए स्टॉक सीमा अधिरोपित की थी जिसे अब प्याज की कीमतों में आई कमी एवं अनुमानित बंपर रबी फसल, जो बेहतर आवक और उपलब्धता का संकेत देती है, को देखते हुए दिनांक 27.02.2020 की अधिसूचना सं.9017(अ) के तहत हटा दिया गया है।

(ग) एवं (घ): सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, पीक सीजन के दौरान प्रापण करके मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) स्कीम के तहत प्याज का बफर स्टॉक करती है जिससे कि लीन सीजन के दौरान कीमत स्थिरीकरण बाजार अंत:क्षेपों का निर्माण किया जा सके। 2019-20 के लिए पीएसएफ के तहत रबी प्याज का प्रापण 57.23 हजार एमटी है। इसके अतिरिक्त, प्याज की कमी की स्थिति के समाधान के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, उपभोक्ता मामले विभाग, उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सदस्यों को मिलाकर बना एक क्राप वैदर वॉच ग्रुप राज्यों के साथ बैठकों एवं वीडियो कांफ्रेंसों के जरिए प्याज फसल की बुवाई, वृद्धि एवं फसल की कटाई के समय निगरानी करते हैं। समेकित बागवानी विकास मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप न्यून लागत प्याज भंडार (25 एमटी क्षमता) का निर्माण करने के लिए किसानों को लागत (1.75 लाख रुपये/इकाई) के 50 प्रतिशत की दर से सहायता भी प्रदान की जाती है।

****